NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 16-01-2026

विषय सूची

सड़क दुर्घटना जनित मृत्यु की गंभीरता पर रिपोर्ट"

MSME क्षेत्र में योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से दक्षताओं की प्राप्ति: नीति आयोग

स्टार्टअप इंडिया का एक दशक

संक्षिप्त समाचार

2025 सबसे गर्म ला नीना वर्ष दर्ज

वुमनिया पहल

भारत का प्रथम राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम – जनजातीय चिकित्सकों के लिए

28वाँ राष्ट्रमंडल (CSPOC) के सभापतियों और अध्यक्षों का सम्मेलन

भारत का प्रथम राज्य-वित्त पोषित BSL-4 प्रयोगशाला – गुजरात में

सिंथेटिक गाय नस्लें

सड़क दुर्घटना जनित मृत्यु की गंभीरता पर रिपोर्ट"

संदर्भ

- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) तथा एनजीओ सेव लाइफ फाउंडेशन ने भारत के शीर्ष 100 जिलों पर सड़क दुर्घटना जनित मृत्यु की गंभीरता के संदर्भ में संयुक्त रिपोर्ट जारी की।

मुख्य निष्कर्ष

- उत्तर प्रदेश ने मृत्यु दर के मामले में शीर्ष 20 जिलों में सबसे अधिक स्थान प्राप्त किया।
  - तमिलनाडु में 19 "गंभीर" जिले हैं, इसके बाद महाराष्ट्र में 11 जिले, कर्नाटक में नौ जिले और राजस्थान में आठ जिले आते हैं।
- अधिकांश दुर्घटनाएँ ज्ञात स्थानों पर केंद्रित हैं, जैसे विशेष सड़क खंड, दुर्घटना-प्रवण स्थान और पुलिस थाने के क्षेत्र।
- कुल सड़क दुर्घटना मृत्यु का 63% राष्ट्रीय राजमार्गों के बाहर होता है।
- लगभग 54% मृत्युएँ राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और राज्य लोक निर्माण विभाग (PWD) की 18 लक्षित गलियारों पर दर्ज की गईं।
- **उत्तरदायी कारक:** 59% सड़क दुर्घटना मृत्यु में कोई यातायात उल्लंघन शामिल नहीं है, जो दर्शाता है कि सड़क इंजीनियरिंग मृत्युओं का सबसे बड़ा योगदान कारक है।
  - पीछे से टक्कर, आमने-सामने की टक्कर और पैदल यात्री दुर्घटनाएँ कुल मृत्युओं के 72% के लिए जिम्मेदार थीं।
  - उल्लंघनों में, तेज गति (स्पीडिंग) 19% मृत्युओं के लिए जिम्मेदार रही, इसके बाद लापरवाह ड्राइविंग (7%) और खतरनाक ओवरटेकिंग (3%)।
- **सिफारिशें:** NHAI और राज्य PWDs को प्रत्येक गलियारे पर व्यापक सड़क सुरक्षा सर्वेक्षण करना चाहिए और इंजीनियरिंग समस्याओं की पहचान करनी चाहिए।
- महत्वपूर्ण पुलिस स्टेशनों को पर्याप्त जनशक्ति के साथ उन्नत करने, सभी 108 एम्बुलेंस का राष्ट्रीय एम्बुलेंस कोड के अनुपालन हेतु ऑडिट करने की सिफारिश की गई है।
- मौजूदा सरकारी योजनाओं का प्रभावी उपयोग होना चाहिए, पुलिस, अस्पताल और सड़क एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय के साथ।
- वर्तमान बजट को इंजीनियरिंग, प्रवर्तन संसाधन और स्वास्थ्य क्षमता के अनुरूप किया जाना चाहिए।

भारत में सड़क दुर्घटनाएँ

- वार्षिक सड़क दुर्घटना मृत्यु संख्या के मामले में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है।
  - इसके आँकड़े दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे देशों से कहीं आगे हैं: चीन भारत की कुल मृत्युओं का केवल 36% एवं अमेरिका 25% के बराबर है।
- भारत में सड़क दुर्घटना मृत्यु संख्या 2024 में 2.3% बढ़कर 1.77 लाख से अधिक हो गई, जिससे प्रतिदिन 485 लोगों की मृत्यु हुई।
- विश्व सड़क सांख्यिकी 2024 के अनुसार, प्रति लाख जनसंख्या पर मृत्यु दर चीन में 4.3, अमेरिका में 12.76 और भारत में 11.89 है।

क्या आप जानते हैं?

- सितंबर 2020 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सड़क सुरक्षा के लिए कार्य दशक 2021-2030 की शुरुआत की, जिसका लक्ष्य 2030 तक सड़क यातायात मृत्यु और चोटों को कम से कम 50% करना है।
- सड़क सुरक्षा पर दूसरा वैश्विक उच्च-स्तरीय सम्मेलन ब्राज़ील में आयोजित हुआ, जिसने 2011-2020 को सड़क सुरक्षा के लिए प्रथम कार्य दशक घोषित किया।
  - ब्रासीलिया घोषणा में भाग लेने वाले देशों ने सतत विकास लक्ष्यों के अंतर्गत लक्ष्य निर्धारित किए और आगामी 5 वर्षों में सड़क दुर्घटना मृत्यु को 50% तक कम करने का संकल्प लिया।

सरकारी पहल

- **राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति भारत, 2010:** बेहतर सड़क अवसंरचना, यातायात नियमों का सख्त प्रवर्तन, उन्नत आपातकालीन चिकित्सा सेवाएँ, जन जागरूकता अभियान और बेहतर दुर्घटना-उपरांत देखभाल की आवश्यकता पर बल दिया।

- **इलेक्ट्रॉनिक विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (e-DAR)/ एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस (iRAD):** सड़क दुर्घटना डेटा की रिपोर्टिंग, प्रबंधन और विश्लेषण के लिए केंद्रीकृत प्रणाली।
- **दुर्घटना पीड़ितों को त्वरित सहायता:**
  - दुर्घटना पीड़ितों की सहायता करने वाले "गुड समैरिटन" को ₹25,000 का पुरस्कार।
  - **शीघ्र मुआवजा:** गंभीर चोट के लिए ₹2.5 लाख, मृत्यु के लिए ₹5 लाख।
  - **हिट-एंड-रन पीड़ितों के लिए उन्नत मुआवजा:** मृत्यु पर ₹2 लाख, गंभीर चोट पर ₹50,000।
  - तृतीय-पक्ष बीमा की सरल प्रक्रिया, जिसमें किराए के ड्राइवर भी शामिल।
- **वाहन फिटनेस:** पुराने, अनुपयुक्त वाहन दुर्घटनाओं में योगदान करते हैं। मंत्रालय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में मॉडल निरीक्षण और प्रमाणन केंद्र स्थापित कर रहा है (2024 तक 28 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को कवर किया गया)।
- **IIT मद्रास सहयोग:** सड़क सुरक्षा के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करना, नए उत्पाद विकसित करना, शोध करना और सुरक्षा पहल को बढ़ावा देना।
- **दुर्घटना ब्लैकस्पॉट सुधार:** राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटना-प्रवण स्थानों की पहचान और इंजीनियरिंग उपायों से सुधार को प्राथमिकता।
- **सड़क सुरक्षा ऑडिट:** सभी राजमार्ग परियोजनाओं के लिए डिजाइन, निर्माण और संचालन चरणों में अनिवार्य ऑडिट।
- **ब्रासीलिया घोषणा:** भारत उन शुरुआती 100+ देशों में शामिल था जिसने 2015 में ब्रासीलिया घोषणा पर हस्ताक्षर किए और सतत विकास लक्ष्य 3.6 को प्राप्त करने का संकल्प लिया, अर्थात 2030 तक सड़क यातायात दुर्घटनाओं से वैश्विक मृत्यु एवं चोटों की संख्या को आधा करना।
- **मोटर वाहन संशोधन अधिनियम, 2019:** इस अधिनियम ने यातायात उल्लंघनों के लिए अधिक दंड लाए, जिनमें तेज गति, शराब पीकर गाड़ी चलाना, हेलमेट या सीट बेल्ट न पहनना शामिल है।

आगे की राह

- वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाएँ दिखाती हैं कि जिन देशों ने "सिस्टम्स अप्रोच" अपनाया, वे 50% मृत्यु कमी के लक्ष्य को प्राप्त करने या उसके करीब पहुँचने में सफल रहे।
- भारत ने सड़क सुरक्षा पर प्रमुख संस्थानों जैसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IITs) और केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (CRRI) के माध्यम से पर्याप्त शोध किया है।
- सरकार इन संस्थानों के साथ सहयोग कर नीतियों और कार्य योजनाओं में सुधार कर सकती है।
- कॉर्पोरेट क्षेत्र शोध को वित्तपोषित कर, जागरूकता फैलाकर सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ करने में भूमिका निभा सकता है।

स्रोत: TH

MSME क्षेत्र में योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से दक्षताओं की प्राप्ति: नीति आयोग

संदर्भ

- नीति आयोग ने 'MSME क्षेत्र में योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से दक्षताओं की प्राप्ति' शीर्षक वाली रिपोर्ट जारी की है, जिसमें MSME क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेपों की प्रभावशीलता को सुदृढ़ करने के लिए एक विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की गई है।

योजनाओं के अभिसरण की आवश्यकता

- **दोहराव और अक्षमता से बचाव:** वर्तमान में MSME मंत्रालय 18 योजनाओं की देखरेख करता है जिनके उद्देश्य आपस में मिलते-जुलते हैं, जिससे कार्यान्वयन बिखरा हुआ और पहुँच सीमित हो जाती है।
- **दक्षता और परिणामों में वृद्धि:** अभिसरण से लाभार्थियों के लिए पहुँच सरल होती है, प्रशासनिक जटिलता कम होती है और संसाधन मापनीय परिणामों में परिवर्तित होते हैं।

अभिसरण का ढाँचा (द्वि-आयामी अभिसरण मॉडल)

- **सूचना अभिसरण :**
  - केंद्र और राज्य स्तर पर डेटा का एकीकरण

- नीतिगत निर्णयों को सूचित करना
- अंतर-मंत्रालयी समन्वय में सुधार
- शासन और निगरानी को सुदृढ़ करना

- **प्रक्रिया अभिसरण:**
  - समान या ओवरलैपिंग कार्यक्रमों का विलय
  - सामान्य परिचालन घटकों का संयोजन
  - मंत्रालयों और राज्यों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करना

मुख्य अनुशंसाएँ

- **केंद्रीकृत डिजिटल पोर्टल:** एक एआई-संचालित MSME पोर्टल जो सभी योजनाओं, अनुपालन तंत्र, वित्त विकल्प और बाज़ार खुफिया को एकीकृत करता है।
  - विशेषताएँ: योजनाओं तक एकीकृत पहुँच, मार्गदर्शन हेतु एआई चैटबॉट और डैशबोर्ड, वास्तविक समय मोबाइल पहुँच, एवं डेटा-आधारित निर्णय समर्थन।
- **क्लस्टर विकास योजना एकीकरण:** पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार हेतु निधि योजना (SFURTI) को सूक्ष्म और लघु उद्यम – क्लस्टर विकास कार्यक्रम (MSE-CDP) के साथ विलय करने का प्रस्ताव।
  - प्रमुख तत्व: पारंपरिक उद्योगों के लिए समर्पित उप-योजना, MSE-CDP के अंतर्गत एकीकृत शासन, और पैमाने व दक्षता हेतु समेकित वित्तपोषण।
- **कौशल विकास अभिसरण:** कौशल कार्यक्रमों का तीन-स्तरीय ढाँचे में पुनर्गठन:
  - उद्यमिता और व्यवसाय प्रबंधन
  - MSME तकनीकी और डिजिटल कौशल
  - ग्रामीण और महिला कारीगरों के लिए प्रशिक्षण
    - इससे समन्वय बढ़ता है, समावेशिता बनी रहती है और पारंपरिक व स्थानीय शिल्प को बढ़ावा मिलता है।
- **समर्पित विपणन सहायता प्रकोष्ठ:** दो प्रभागों वाला विपणन प्रकोष्ठ स्थापित करना:
  - **घरेलू प्रभाग:** व्यापार मेलों, खरीदार-विक्रेता बैठकों और राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भागीदारी को सुगम बनाना।
  - **अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग:** विदेशी व्यापार मेलों और B2B आयोजनों के माध्यम से वैश्विक बाज़ार तक पहुँच का समर्थन।
- **नवाचार और ASPIRE योजनाओं का एकीकरण:** ASPIRE (नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा देने की योजना) को MSME Innovative में एकीकृत कर कृषि-ग्रामीण उद्यमों के लिए एकीकृत नवाचार ढाँचा बनाना।
  - वर्तमान ASPIRE निधि जारी रहेगी, जबकि भविष्य के बजट में ग्रामीण इनक्यूबेशन हेतु एक हिस्सा निर्धारित किया जाएगा।
- **लक्षित पहलों की सुरक्षा:** रिपोर्ट ने केंद्रित कार्यक्रमों को संरक्षित रखने पर बल दिया है, जिनमें शामिल हैं:
  - राष्ट्रीय एससी/एसटी हब
  - उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (NER) में MSME को बढ़ावा
  - PMEGP और पीएम विश्वकर्मा, जिन्हें उनके पैमाने और रणनीतिक महत्व के कारण स्वतंत्र बनाए रखना है।

कार्यान्वयन रणनीति और शासन

- अभिसरण रणनीति एक सावधानीपूर्ण और चरणबद्ध दृष्टिकोण का समर्थन करती है, जिसमें समान उद्देश्यों वाली योजनाओं का विलय किया जाए, जबकि प्रमुख और लक्षित पहलों की पहचान बनी रहे।
- जहाँ विलय संभव नहीं है, वहाँ रिपोर्ट ने सुझाव दिया है:
  - अंतर-मंत्रालयी समन्वय हेतु संयुक्त कार्यशालाएँ
  - साझा क्षमता-विकास पहल
  - सतत प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए परिणामों की निरंतर निगरानी
- समग्र लक्ष्य है शासन दक्षता में सुधार, प्रशासनिक भार को कम करना और भारत के MSME की आर्थिक योगदान को अधिकतम करना।

MSME और भारतीय परिदृश्य

- विश्व बैंक के अनुसार, MSME लगभग 90% औपचारिक व्यवसायों और लगभग 50% वैश्विक रोजगार का हिस्सा हैं, जो लचीली एवं विविध अर्थव्यवस्थाओं के निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है।

- भारत का MSME क्षेत्र विश्व के सबसे बड़े क्षेत्रों में से एक है, जिसमें 7.4 करोड़ से अधिक पंजीकृत उद्यम शामिल हैं, जिनमें 2.9 करोड़ महिला-नेतृत्व वाले व्यवसाय हैं, और यह 32 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है।
- MSME भारत के जीडीपी (लगभग 30%), विनिर्माण उत्पादन (लगभग 45%) और निर्यात (लगभग 40%) में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, जिससे राष्ट्र एक वैश्विक विनिर्माण एवं नवाचार केंद्र के रूप में उभर रहा है।
- MSME का वर्गीकरण उनके संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश तथा वार्षिक कारोबार के आधार पर किया जाता है:
  - **सूक्ष्म उद्यम (Micro Enterprises):** निवेश ≤ ₹1 करोड़ और कारोबार ≤ ₹5 करोड़
  - **लघु उद्यम (Small Enterprises):** निवेश ≤ ₹10 करोड़ और कारोबार ≤ ₹50 करोड़
  - **मध्यम उद्यम (Medium Enterprises):** निवेश ≤ ₹50 करोड़ और कारोबार ≤ ₹250 करोड़
- यह वर्गीकरण 2020 में संशोधित किया गया था ताकि अधिक समावेशी और विकासोन्मुखी ढाँचा प्रदान किया जा सके।

स्रोत: PIB

स्टार्टअप इंडिया का एक दशक

संदर्भ

- प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस पर स्टार्टअप इंडिया पहल के एक दशक पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया।
  - स्टार्टअप इंडिया को 16 जनवरी, 2016 को एक परिवर्तनकारी राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य उद्यमिता को बढ़ावा देना और निवेश-प्रेरित विकास को सक्षम बनाना था।

भारत का स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र

- भारत तीव्रता से विकसित होकर विश्व के सबसे बड़े स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक बन गया है, जहाँ 2025 तक 2 लाख से अधिक स्टार्टअप मौजूद हैं।
- भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र है।
- बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली-एनसीआर जैसे प्रमुख केंद्र इस परिवर्तन के अग्रणी रहे हैं।
- भारत में 120 से अधिक यूनिकॉर्न हैं जिनका मूल्यांकन $350 बिलियन से अधिक है।
- **ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (GII) 2025 रैंकिंग:** यह लगभग 140 अर्थव्यवस्थाओं को उनके नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रदर्शन के आधार पर रैंक करता है।
  - भारत ने 2020 में 48वें स्थान से 2025 में 38वें स्थान तक स्थिर प्रगति की है।
- साथ ही, छोटे शहर भी इस गति में लगातार योगदान दे रहे हैं, जहाँ लगभग 50% स्टार्टअप टियर II/III शहरों से उभर रहे हैं।

स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र की चुनौतियाँ

- **वित्तीय बाधाएँ और पूंजी अस्थिरता:** भारतीय स्टार्टअप्स को पूंजी तक असंगत पहुँच का सामना करना पड़ता है, विशेषकर वैश्विक आर्थिक मंदी के दौरान।
  - विदेशी वेंचर कैपिटल पर अत्यधिक निर्भरता उन्हें बाहरी आघातों के प्रति संवेदनशील बनाती है।
  - शुरुआती चरण और डीप-टेक स्टार्टअप्स को लंबे गर्भकालीन अवधि के कारण तीव्र वित्तीय कमी का सामना करना पड़ता है।
- **नियामक जटिलता और नीतिगत अनिश्चितता:** केंद्र और राज्य सरकारों में कई अनुपालन आवश्यकताएँ, बार-बार नियामक परिवर्तन एवं कर-संबंधी अस्पष्टताएँ परिचालन लागत बढ़ाती हैं तथा जोखिम लेने व नवाचार को हतोत्साहित करती हैं।

- **प्रतिभा की कमी और कौशल असंगति:** एआई, सेमीकंडक्टर और साइबर सुरक्षा जैसी उभरती तकनीकों में कुशल पेशेवरों की कमी है।
- **अवसंरचना और पारिस्थितिकी तंत्र की खामियाँ:** स्टार्टअप-सहायता अवसंरचना महानगरों में केंद्रित है, जिससे टियर-2 और टियर-3 क्षेत्रों में स्टार्टअप्स की वृद्धि सीमित होती है।
- **कमजोर नवाचार और अनुसंधान संस्कृति:** निजी क्षेत्र का अनुसंधान एवं विकास (R&D) में कम निवेश, उद्योग–शैक्षणिक संस्थानों के बीच कमजोर संबंध और बौद्धिक संपदा अधिकारों के प्रति अपर्याप्त जागरूकता नवाचार और स्वदेशी तकनीकों के व्यावसायीकरण को बाधित करती है।

सरकारी पहल

- **क्षेत्र-विशिष्ट और मंत्रालय-नेतृत्व वाली पहलें**

Scheme	Ministry	Objective
Atal Innovation Mission (AIM) (2016)	NITI Aayog	Foster nationwide innovation culture
GENESIS (Gen-Next Support for Innovative Startups) (2022)	Ministry of Electronics & IT (Meity)	Deep-tech startups in Tier II/III cities
Technology Incubation and Development of Entrepreneurs (TIDE) 2.0 (2019)	Ministry of Electronics & IT (Meity)	ICT startup incubation & scale-up
MeitY Startup Hub (MSH) (2016)	Ministry of Electronics & IT (Meity)	Integrate tech startup ecosystem
NIDHI (National Initiative for Developing and Harnessing Innovations) (2016)	Department of Science & Technology (DST)	Support S&T startups from idea to market
Startup Village Entrepreneurship Programme (SVEP) (2015)	Ministry of Rural Development (DAY- NRLM)	Promote rural entrepreneurship
ASPIRE (Scheme for Promotion of Innovation, Rural Industries and Entrepreneurship) (2015)	Ministry of MSME	Strengthen rural enterprise incubators
Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP) (2008)	Ministry of MSME (KVIC)	Subsidised credit for self-employment

- **एआई उत्कृष्टता केंद्र :** देशभर में समर्पित एआई हब और नवाचार केंद्र स्थापित करना ताकि एआई स्टार्टअप्स एवं अनुसंधान को समर्थन मिल सके।
- **भारत का डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI):** डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक वित्तपोषण को निजी क्षेत्र के नवाचार के साथ संयोजित करना।

निष्कर्ष

- विगत 10 वर्षों में भारत के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र ने जबरदस्त वृद्धि का अनुभव किया है और यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र बन गया है।

- हितधारकों के बीच इस गतिशील सहयोग ने पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ किया है, आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया है तथा आगामी पीढ़ी के नवप्रवर्तकों को सशक्त बनाया है।

स्रोत: AIR

संक्षिप्त समाचार

2025 सबसे गर्म ला नीना वर्ष दर्ज

समाचार में

- एक नई रिपोर्ट के अनुसार, 2025 रिकॉर्ड पर तीसरा सबसे गर्म वर्ष था और सबसे गर्म ला नीना वर्ष रहा।

ला नीना

- यह एल नीनो सदर्न ऑस्सीलेशन (ENSO) का शीत चरण है।
- यह प्रशांत महासागर का एक मौसम पैटर्न है जिसमें गर्म जल और बादल पश्चिम की ओर स्थानांतरित हो जाते हैं।
  - इससे इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है।
  - इसके विपरीत, दक्षिण-पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे क्षेत्रों में सामान्य से अधिक शुष्क परिस्थितियाँ होती हैं।

एल नीनो सदर्न ऑस्सीलेशन (ENSO)

- ENSO एक जलवायु घटना है जिसमें मध्य और पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत में समुद्र के तापमान में परिवर्तन एवं संबंधित वायुमंडलीय उतार-चढ़ाव शामिल होते हैं, जो वैश्विक मौसम को प्रभावित करते हैं।
- ENSO के तीन चरण होते हैं:
  - **न्यूट्रल चरण:** पूर्व से पश्चिम की ओर चलने वाली हवाएँ गर्म सतही जल को इंडोनेशिया की ओर धकेलती हैं, जिससे पूर्वी प्रशांत में शीत जल आता है।
  - **एल नीनो:** कमजोर हवाएँ इस विस्थापन को कम करती हैं, जिससे पूर्वी प्रशांत गर्म हो जाता है।
  - **ला नीना:** सुदृढ़ हवाएँ अधिक गर्म जल को पश्चिम की ओर स्थानातरित करती हैं, जिससे पूर्वी प्रशांत ठंडा हो जाता है।
    - ये चरण अनियमित रूप से प्रत्येक 2–7 वर्षों में होते हैं और वैश्विक वायुमंडलीय परिसंचरण को बदलते हैं, जिससे विश्वभर का मौसम प्रभावित होता है।

भारत पर प्रभाव

- भारत में, एल नीनो सामान्यतः कम वर्षा और अधिक तापमान का कारण बनता है, जबकि ला नीना अधिक वर्षा और ठंडे तापमान लाता है।
- ला नीना भारत के कुछ हिस्सों, विशेषकर उत्तर में, ठंडी सर्दियाँ ला सकता है, जिसमें शीत लहरें और पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक हिमपात शामिल है।
  - हालांकि, वैश्विक ऊष्मीकरण इन ठंडे प्रभावों को संतुलित कर सकता है, इसलिए ला नीना हमेशा ठंडी सर्दियों का परिणाम नहीं होता।
    - ला नीना के प्रभाव मानव-जनित जलवायु परिवर्तन की व्यापक पृष्ठभूमि में हो रहे हैं, जो वैश्विक तापमान बढ़ा रहा है, चरम मौसम को तीव्र कर रहा है और मौसमी वर्षा व तापमान को प्रभावित कर रहा है।

स्रोत: DTE

वुमनिया पहल

समाचार में

- गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) ने वुमनिया पहल के सात वर्ष पूर्ण होने का उत्सव मनाया।

वुमनिया पहल

- इसे 2019 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य महिला उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को सरकारी बाजारों तक पहुँच बढ़ाना है।
- यह खरीदारों के साथ एक प्रत्यक्ष, पारदर्शी और पूर्णतः डिजिटल इंटरफ़ेस प्रदान करता है, जिससे मध्यस्थों और प्रवेश बाधाओं को हटाया जा सके।
- इसका लक्ष्य सार्वजनिक खरीद में महिला-नेतृत्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों (MSEs) की भागीदारी को सुदृढ़ करना है।
- समय के साथ, यह महिला-नेतृत्व वाले MSEs का समर्थन करने वाला एक राष्ट्रीय पारिस्थितिकी तंत्र बन गया है।

प्रगति

- वुमनिया एक संरचित और विस्तार योग्य पारिस्थितिकी तंत्र में विकसित हो गया है तथा महिला-नेतृत्व वाले उद्यमों को लचीलापन एवं विश्वसनीयता के माध्यम से अपने व्यवसायों को बढ़ाने में सक्षम बनाने वाली एक प्रमुख पहल के रूप में उभरा है।
- GeM पोर्टल पर दो लाख से अधिक महिला-नेतृत्व वाले MSEs पंजीकृत हैं, जिन्होंने सामूहिक रूप से ₹80,000 करोड़ से अधिक मूल्य के सार्वजनिक खरीद आदेश प्राप्त किए हैं।
- यह GeM के कुल आदेश मूल्य का 4.7% है, जो महिला-स्वामित्व और महिला-नेतृत्व वाले उद्यमों के लिए निर्धारित 3% लक्ष्य से अधिक है।

महत्व

- वुमनिया पहल सरकार की लैंगिक-समावेशी आर्थिक विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
- यह दिखाती है कि नीति, प्लेटफ़ॉर्म और साझेदारियाँ मिलकर भागीदारी को समृद्धि में कैसे बदल सकती हैं।

स्रोत: PIB

भारत का प्रथम राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम – जनजातीय चिकित्सकों के लिए

संदर्भ

- जनजातीय कार्य मंत्रालय (MoTA) जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य पहुँच को सुदृढ़ करने हेतु जनजातीय चिकित्सकों के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है।

परिचय

- इस पहल का उद्देश्य जनजातीय और स्वदेशी चिकित्सकों को भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में विश्वसनीय सामुदायिक साझेदार के रूप में मान्यता एवं एकीकृत करना है।
  - जनजातीय चिकित्सक स्वास्थ्य सेवाओं की खोज में सबसे सांस्कृतिक रूप से विश्वसनीय संपर्क बिंदु बने रहते हैं, विशेषकर दूरस्थ क्षेत्रों में जहाँ अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों की गतिशीलता एवं संस्थागत पहुँच सीमित होती है।
  - चिकित्सकों के पास गहरी जड़ें वाली पारंपरिक औषधीय जानकारी होती है, वे समुदाय के लिए सुलभ होते हैं और प्रायः स्वास्थ्य संपर्क का प्रथम बिंदु होते हैं।
- ICMR–क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र (RMRC) और MoTA के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, ताकि भारत का प्रथम राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला – भारत जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला (B-THO) परियोजना **DRISTI** के अंतर्गत स्थापित किया जा सके।
  - यह जनजाति-विशिष्ट स्वास्थ्य निगरानी, कार्यान्वयन अनुसंधान और अनुसंधान-आधारित रोग उन्मूलन पहलों को जनजातीय जिलों में संस्थागत बनाएगा।
- क्षमता निर्माण कार्यक्रम अग्रणी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की सुदृढ़ तकनीकी एवं ज्ञान साझेदारियों के साथ आयोजित किया जा रहा है।
  - ये सहयोग वैश्विक साक्ष्य, राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाएँ और वैज्ञानिक कठोरता को जनजातीय चिकित्सकों के साथ संरचित जुड़ाव में लाएँगे।

स्रोत: PIB

28वाँ राष्ट्रमंडल (CSPOC) के सभापतियों और अध्यक्षों का सम्मेलन

समाचार में

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान सदन में 28वें राष्ट्रमंडल (CSPOC) के सभापतियों और अध्यक्षों के सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसमें उन्होंने बताया कि भारत ने अपनी विविधता को लोकतांत्रिक शक्ति में कैसे परिवर्तित किया है।

28वाँ राष्ट्रमंडल (CSPOC) सम्मेलन

- इस सम्मेलन में 42 राष्ट्रमंडल देशों के 61 सभापति और अध्यक्ष शामिल हुए।
- इसका उद्देश्य संसदीय लोकतंत्र के विभिन्न रूपों में ज्ञान एवं समझ को बढ़ावा देना और संसदीय संस्थाओं का विकास करना है।
  - लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला इस सम्मेलन के अध्यक्ष हैं।

- इसमें संसद में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के उपयोग, प्रतिभागियों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं और नवाचारी विचारों के आदान-प्रदान, सोशल मीडिया का सांसदों पर प्रभाव, संसद की जनसमझ को बढ़ाना, सुरक्षा एवं सांसदों के स्वास्थ्य व कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया गया।

मुख्य बिंदु

- प्रधानमंत्री ने बल दिया कि भारतीय लोकतंत्र कल्याण योजनाओं की अंतिम छोर तक पहुँच सुनिश्चित करता है, जिससे लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में सहायता मिली।
- उन्होंने भारत की आर्थिक और संस्थागत प्रगति को रेखांकित किया, जिसमें भारत का सबसे तीव्रता से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था होना, विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल भुगतान प्रणाली, अग्रणी वैक्सीन उत्पादक एवं स्टार्टअप, अवसंरचना तथा विनिर्माण का केंद्र होना शामिल है।
- उन्होंने भारतीय लोकतंत्र के पैमाने का उल्लेख किया, जिसमें 2024 के चुनावों में 980 मिलियन पंजीकृत मतदाता थे, और शासन के सभी स्तरों पर महिलाओं की बढ़ती नेतृत्व भूमिका को उजागर किया।
- उन्होंने भारत की लोकतांत्रिक परंपरा को सदियों पुरानी परामर्श और सामूहिक निर्णय लेने की प्रथाओं से जोड़ा तथा इसे गहरी जड़ वाले वृक्ष से तुलना की।
- उन्होंने G20 जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर ग्लोबल साउथ की चिंताओं को उठाने में भारत की भूमिका पर बल दिया।
- उन्होंने नागरिकों की समझ बढ़ाने के लिए संसदीय कार्यवाही में AI के उपयोग को भी रेखांकित किया।

स्रोत: IE

भारत का प्रथम राज्य-वित्त पोषित BSL-4 प्रयोगशाला – गुजरात में

समाचार में

- केंद्रीय गृह मंत्री ने गांधीनगर में बायो-सेफ्टी लेवल 4 (BSL-4) कंटेनमेंट सुविधा और प्रयोगशाला की आधारशिला रखी, इसे भारत के लिए "स्वास्थ्य कवच" बताया।

BSL-4 सुविधा

- बायो-सेफ्टी लेवल 4 (BSL-4) प्रयोगशालाएँ जैविक सुरक्षा का सर्वोच्च स्तर दर्शाती हैं।
- इन्हें विश्व के सबसे खतरनाक और अत्यधिक संक्रामक रोगजनकों का सुरक्षित अध्ययन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिनके लिए प्रायः टीके या उपचार उपलब्ध नहीं होते।
- वैज्ञानिक यहाँ उन्नत अनुसंधान करते हैं, निदान, टीके एवं उपचार विकसित करते हैं, और सख्त नियंत्रित तथा अंतरराष्ट्रीय निगरानी वाली परिस्थितियों में त्वरित प्रकोप जांच व प्रतिक्रिया करते हैं।

भारत में वर्तमान स्थिति

- वर्तमान में भारत में केवल एक नागरिक BSL-4 प्रयोगशाला कार्यरत है, जो पुणे, महाराष्ट्र में राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान (NIV) में स्थित है।
- हालाँकि, 2024 के अंत में रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने ग्वालियर, मध्य प्रदेश में अपनी BSL-4 प्रयोगशाला स्थापित की।
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने केंद्रीय क्षेत्र योजना "महामारी एवं राष्ट्रीय आपदाओं के प्रबंधन हेतु प्रयोगशालाओं का राष्ट्रव्यापी नेटवर्क स्थापित करना" के अंतर्गत विषाणु अनुसंधान तथा निदान प्रयोगशालाओं (VRDL) का नेटवर्क स्थापित किया।
  - इस योजना के अंतर्गत 165 जैव सुरक्षा प्रयोगशालाओं को स्वीकृति दी गई है, जिनमें 11 BSL-3 स्तर की प्रयोगशालाएँ और 154 BSL-2 स्तर की प्रयोगशालाएँ शामिल हैं।

गुजरात में नई प्रयोगशाला

- गांधीनगर में बनने वाली BSL-4 प्रयोगशाला, एक पशु जैव-सुरक्षा स्तर (ABSL) सुविधा के साथ, एक रणनीतिक राष्ट्रीय संपत्ति होगी।
- यहाँ मानव जाति के ज्ञात सबसे घातक रोगजनकों पर अनुसंधान किया जाएगा, जिनमें इबोला वायरस, मारबर्ग वायरस, क्राइमियन-कांगो हेमोरेजिक फीवर (CCHF) वायरस, क्यासनूर वन रोग वायरस और निपाह वायरस शामिल हैं।

स्रोत: IE

सिंथेटिक गाय नस्लें

संदर्भ

- भारत ने राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान (NDRI) द्वारा विकसित दो नई सिंथेटिक गाय नस्लों – करन फ्राइज और वृंदावनी – को पंजीकृत किया है।

परिचय

- करन फ्राइज एक सिंथेटिक गाय नस्ल है, जिसे उच्च उत्पादकता वाली वैश्विक नस्ल होल्स्टीन फ्राइजियन और भारत की स्वदेशी थारपारकर ज़ेबू गाय, जो अपनी कठोरता एवं सहनशीलता के लिए जानी जाती है, के संकरण से विकसित किया गया है।
- सिंथेटिक करन फ्राइज गाय नस्ल उच्च उत्पादकता और सहनशीलता को जोड़ती है, जो प्रतिदिन अधिकतम 46.5 किलोग्राम दूध उत्पादन करती है।
  - स्वदेशी नस्लें सामान्यतः प्रति दुग्धकाल 1,000–2,000 किलोग्राम दूध देती हैं।
- करन फ्राइज और वृंदावनी, एक अन्य उच्च उत्पादक सिंथेटिक गाय नस्ल के साथ, देश में पंजीकृत पशुधन एवं पोल्ट्री नस्लों की कुल संख्या को 246 तक ले गए।
- सिंथेटिक गाय नस्लें योजनाबद्ध संकरण से विकसित की जाती हैं, जिसमें सामान्यतः स्वदेशी (बोस इंडिकस) एवं विदेशी (बोस टॉरस) नस्लों का संकरण किया जाता है, और पीढ़ियों तक वांछित गुणों का स्थिरीकरण किया जाता है।
  - एक बार स्थिर हो जाने पर, वे शुद्ध रूप से प्रजनन करती हैं और विशिष्ट नस्लों के रूप में मान्यता प्राप्त करती हैं।
- **महत्व :**
- स्वदेशी गायों की तुलना में अधिक उत्पादकता।
- शुद्ध विदेशी नस्लों की तुलना में बेहतर जलवायु सहनशीलता।
- डेयरी किसानों के लिए बेहतर आर्थिक लाभ।
- कम मृत्यु दर और बेहतर प्रजनन क्षमता।

स्रोत: BS

■■■■